का एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6/8/09.	नामांतरण अपीलवादवाद सं0 :94/2009–10 140/2007–08 **(सरदार जसबीर सिंह बनाम अं0 अ0 गिरिडीह)** **आदेश** इस अपीलवाद की कार्यवाही अंचल कार्यालय, गिरिडीह के नामांतरण वाद संख्या 983/2006–07 में विज्ञ अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2006 के विरूद्ध अपीलार्थी सरदार जसबीर सिंह, पे0 : स्व0 हरबंश सिंह साकिन : पंजाबी मोहल्ला, गिरिडीह थाना : गिरिडीह(न0) के द्वारा दायर किये गये अपील आवेदन पर आरम्भ की गई है । अपीलवाद दायर किए जाने की विलंबावधि को सुनवाई के क्रम में लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के अंतर्गत दिए गए तर्क के आलोक में क्षांत किया गया। दि0 28.07.2009 को अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आवेदन देकर यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी सरदार जसबीर सिंह,की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उनके स्थान पर उनकी पत्नी : राजेन्द्र कौर को Substitute किया जाए। तथ्य एवं साक्ष्य के आलोक में सर्वप्रथम स्व0 जसबीर सिंह,के स्थान पर उनकी पत्नी राजेन्द्र कौर के Substitution की स्वीकृति दी गई। सुनवाई की निर्धारित तिथि में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों को सुना गया। वादगत भूमि के पूर्व इतिहास के संबंध में सर्वप्रथम विज्ञ अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि इसका क्रय सर्वप्रथम इक्वीटल कोल कम्पनी के द्वारा भूतपूर्व जमींदार, शंकर प्रसाद सिंह देव पंचकोट–राज, जिला : मानभूम से किया गया था। कालांतर में इक्वीटल कोल कम्पनी के द्वारा इसकी बिक्री कुंजबिहारीलाल के नाम से कर दी गई। क्रय के पश्चात कुंजबिहारीलाल वादगत भूमि के दखलकार हुए। कुंजबिहारीलाल, अपने	

एकमात्र पुत्र कुलदीप सहाय को छोड़कर फौत हुए। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा वादगत भूमि के नगरपालिका–खतियान की छायाप्रति दाखिल करते हुए आगे यह तर्क दिया गया कि नगरपालिका सर्वे–खतियान में भी यह भूमि मौजा : मकतपुर, थानान0 95 के खातान0 18 अंतर्गत खेसरान0 1652 एवं 1653 के रूप में अंकित किया गया है और इसके सर्वे–रैय्यत के रूप में कुलदीप सहाय का नाम अंकित है। कुलदीप सहाय का कोई पुत्र नहीं था इसलिए उनके फौत हो जाने के उपरांत दामाद सूरज प्रसाद वर्मा वादगत भूमि के दखलकार हुए तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद कायम किए गए सरकारी पंजी–।। तथा नगरपालिका होल्डिंग के अंतर्गत भी उनका नाम दर्ज कर सरकारी एवं नगरपालिका–रसीद निर्गत की गई। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि बाबू जे0बी0कुंडो एवं मो0 रहीमबक्श, बेंच–दण्डाधिकारी के न्यायालय अतिक्रमणवाद संख्या 327/1895 (म्युनिसप्लैटी बनाम हसन अली) में पारित आदेश में भी मुंशी कुलदीप सहाय के मकान में रहने एवं उसका उपभोग किए जाने का उल्लेख प्राप्त है। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार उर्पयुक्त तथ्यों की पुष्टि वादगत केवाला के रिसाईटल तथा अंचल अधिकारी, गिरिडीह के न्यायालय अतिक्रमणवाद संख्या 02/1999–2000 में पारित आदेश की निर्गत सच्ची प्रतिलिपि में उल्लेखित तथ्यों से भी किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि अंचल कार्यालय के पुराने पंजी–।। के थोका न0 18 में सूरज प्रसाद वर्मा के नाम से वादगत भूमि की जमाबंदी कायम है और इसके विरूद्ध वर्ष 2001–02 तक सरकारी लगान रसीद भी निर्गत की गई है। अपीलार्थी के स्व0 पति जसबीर सिंह के द्वारा वादगत भूमि का क्रय सूरज प्रसाद वर्मा के सभी जीवित वारिशान पक्ष से निबंधित केवाला संख्या 3543 दि0 09.04.2002 के द्वारा किया गया है। इसके दाखिल खारीज के संबंध में अंचल कार्यालय गिरिडीह के नामांतरण वाद संख्या 983/2006–07 में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के एक भ्रामक प्रतिवेदन मात्र (रेलवे की भूमि हो सकती है) के आलोक में उर्पयुक्त तथ्यों की अनदेखी कर अथवा उसपर विचार किए बिना दाखिलखारीज को अस्वीकृत कर दिया गया है। वादगत भूखंड

वर्तमान में परती एवं उनके दखल में है तथा अंचल अधिकारी, गिरिडीह के न्यायालय अतिक्रमणवाद संख्या 02/1999–2000 में पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह रेलवे तथा अतिक्रमण से मुक्त भूमि है। अंत में उर्पयुक्त आलोक में विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन को स्वीकृत किए जाने एवं निम्न–न्यायालय आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

उर्पयुक्त उल्लेखित तर्क, अंचल अधिकारी, गिरिडीह के न्यायालय अतिक्रमणवाद संख्या 02/1999–2000 में पारित आदेश की निर्गत सच्ची प्रतिलिपि, निम्न–न्यायालय मूल अभिलेख तथा पंजी–।। के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विक्रेता पक्ष (सूरज प्रसाद वर्मा) के नाम से पुराना पंजी–।। के जमाबंदी पृष्ठ संख्या 18 में तथा चालू पंजी–।। में भी जमाबंदी कायम चली आ रही है। इसी जमाबंदी से पूर्व में अंचल कार्यालय गिरिडीह के ही नामांतरणवाद संख्या 1649/1983–84 के द्वारा रकबा तीन कट्ठा चार धुर भूमि को खारीज कर अर्जुन राम भदानी के नाम से पंजी–।। में ही एक अन्य जमाबंदी कायम किए जाने का इन्द्राज प्राप्त है। वर्ष 1941 में निर्गत किए गए म्यू0 सर्वे–खतियान की सच्ची प्रतिलिपि के अवलोकन से भी ज्ञात होता है कि वादगत खाता, खेसरा के दखलकार के रूप में कुलदीप सहाय का नाम अंकित है। भू–हस्तांतरण के संबंध में यथा उर्पयुक्त उल्लेखित तर्क की पुष्टि निबंधित दस्तावेज के रिसाईटल से होती हे।

अतः उर्पयुक्त आलोक में निम्न–न्यायालय के नामांतरण वाद संख्या 983/2006–07 में विज्ञ अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2006 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अपील स्वीकृत किया जाता है। निम्न–न्यायालय मूल अभिलेख के साथ आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी गिरिडीह को भेजी जाए।

625
18/8/09

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह ।